2023 का विधेयक संख्यांक 102

[दि आफशोर एरियाज मिनीरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2023 है ।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (जिस इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,— 2003 का 17

(i) खंड (ख) में, "खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग (ख)," शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "और इसके अधीन बनाए गए नियमों में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । 1957 का 67

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(गक) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" से ऐसा खोज अनुज्ञप्ति-सह-उत्पादन पट्टा अभिप्रेत है, जो उत्पादन संक्रिया द्वारा पालन किए जाने वाले खोज संबंधी संक्रिया के प्रयोजन के लिए दो स्तरीय संक्रिया अधिकार प्रदान करता है :

(गख) "निपटारा" से उत्पादन पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र से खनिजों या खनिज उत्पादों और जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के भीतर खनिजों और खनिज उत्पादों की खपत भी शामिल है, को हटाना अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (घ) में, "धारा 12 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "खोज संक्रिया करने के प्रयोजन के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में है ;'; 2013 का 18

(v) खंड (i) में, "पट्टेदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया जाता है, शब्द रखे जाएंगे ,

(vi) खंड (ञ) में, "जिसके नाम में खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है" शब्दों के स्थान पर "जिसके नाम में संयुक्त पट्टा या खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (ट) में, "जो किसी खोजन अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतगत है" शब्दों के स्थान पर "जो किसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अतर्गत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) खंड (ण) में "खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त अनुज्ञप्ति या खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ix) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(दक) "उत्पादन" से इसके व्याकरणिक रुपभेद और सजातीय पद से प्रसंस्करण या निपटान के प्रयोजन के लिए उत्पादन पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र के भीतर खनिज को प्राप्त करना अभिप्रेत है ;';

(x) खंड (न) में, "धारा 13 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 8 या धारा 12 या धारा 13 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(xi) खड (फ) में, "धारा 11 के अधीन" शब्द और अंक का लोप किया जाएगा ,

(xii) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(फक) "मानक खंड" से एक मिनट अक्षांश गुणांक एक मिनट दिशांतर और जिसमें ऐसे खंड के भीतर समुद्र तल के लिए समुद्र तल और इसकी अधोमृदा तथा पानी की उपरिस्थ शामिल है, का खंड अभिप्रेत है ;';

(xiii) खड (ब) में, "नौका, चलत जलयान या किसी अन्य वर्णन का कोई जलयान" शब्दों के स्थान पर "किसी संक्रिया या किसी क्रियाकलाप के अनुसरण में प्रयुक्त बार्ज, नौका, कन्टेनर, चलत जलयान या स्टेशनरी जलयान या पनडुब्बी या अन्यथा तथा परोक्ष रूप से संक्रिया या अन्यथा किसी अन्य वर्णन का कोई जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त अनुज्ञप्ति या खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में,—

(अ) "परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय" शब्दों के स्थान पर "खोज और अनुसंधान परमाणु खनिज निदेशालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "भारतीय नौसेना के नौसैनिक जल सर्वेक्षण कार्यालय" के स्थान पर "राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) "केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण जिसमें निजी अस्तित्व शामिल हैं द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी और पट्टेदारी और उसके परन्तुक में निर्दिष्ट सरकारी संथन, अभिकरण या प्राइवेट अस्तित्व,—

(क) प्रशासनिक प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो विहित किए जाएं, प्रचालन के संबंध में या उसके अनुसरण में एकत्रित सभी अन्वेषण और प्रचालनात्मक आंकडें, रिपोट, नमूने और अन्य जानकारी ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) प्रचालन के संबंध में या उसके संबंध में एकत्रित सभी अन्वेषन और प्रचालनात्मक आंकडे, रिपोर्ट, नमूने तथा अन्य जानकारी यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदारी, सरकारी संगठन, अभिकरण या प्राइवेट अस्तित्व द्वारा पूर्ण विश्वास में धारित किए जाएंगे और विक्रया या अन्यथा के अनुसरण में, ऐसे आंकडें, रिपोर्ट या अन्य जानकारी का प्रसार या जिसके नमूनों का बटवारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा जो विहित किए जाएं ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "अनुदत्त या नवीकृत" शब्दों के स्थान पर "अनुदत्त, विस्तारित या अर्जित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अन्वेषण अनुज्ञप्ति या अनुदत्त, नवीकृत या अर्जित उत्पादन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त अनुज्ञप्ति, अन्वेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा, अनुदत्त, विस्तारित या अर्जित" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 6 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20)" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु कोई अन्वेषण अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा ऐसी शर्तों और रीति के अधीन जो विहित की जाए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति, सरकारी कंपनी या निगम के किसी क्षेत्र के लिए वहां अनुदत्त नहीं की जाएगी जहां ऐसे क्षेत्र में ऐसे खनिज की श्रेणी ऐसी अवसीमा मूल्य के बराबर है या उसके ऐसे अवसीमा मूल्य अधिक है जैसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह और कि कोई उत्पादन पट्टा अपतट क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे अपतट क्षेत्र में खनिज संसाधनों के अस्तित्व को ऐसे पैरामिटरों के अनुसार जो विहित किए जाएं, पर्याप्त रूप से स्थापित न कर दिया गया हो:"।

धारा 7 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "अपतट खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन के हित में नैसर्गिक पर्यावरण के परिरक्षण और प्रदूषण के निवारण, लोक स्वास्थ्य या संसूचना के खतरे से बचने के लिए किसी अपतट संरचना की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए यह समीचीन है" शब्दों के स्थान पर "लोक हित, देश के नीतिगत हित, अपतट खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन के हित में नैसर्गिक पर्यावरण के परिरक्षण और प्रदूषण के निवारण, लोक स्वास्थ्य या संसूचना के खतरे से बचने के लिए किसी अपतट संरचना की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए यह समीचीन है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "खनिज संसाधनों के संरक्षण" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य कारण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के सिवाय नहीं किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "उस मामले के सिवाय जहां समयपूर्व पर्यवसान देश के नीतिगत हित के आधार पर है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के सिवाय नहीं किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) परन्तुक में "ऐसे प्रारंभ न किए जाने या बंद किए जाने का माफ कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "धारा 14 में विनिर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त विस्तार कर सकेगा जो एक वर्ष से अधिक न हो और ऐसा विस्तार संक्रिया अधिकार की संपूर्ण अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां संक्रिया अधिकार का धारक विस्तारित अवधि के पूरा होने से पहले—

(क) संक्रिया करने में असफल रहता है; या

(ख) संक्रिया आरंभ करके ऐसी संक्रिया का बंद कर देता है,

ऐसा संक्रिया अधिकार पट्टे के निष्पादन की तारीख से व्यपगत हो जाएगा या यथास्थिति, संक्रिया बंद हो जाएगी ।";

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) जहां उत्पादन पट्टे का धारक पट्टे के निष्पादन की तारीख के पश्चात् चार वर्षों की अवधि के लिए उत्पादन या निपटान करने में असफल रहता है या उत्पादन और निपटान प्रारंभ करके उसे दो वर्ष की अवधि के लिए बंद कर देता है तब ऐसा पट्टा उसके निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की या यथास्थिति, उत्पादन और निपटान के बंद होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु प्रसाशन प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसे उत्पादन या निपटान का प्रारंभ न होना या उसका बंद होना ऐसे कारणों से था जो पट्टेदार के नियंत्रण से बाहर थे, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा जो एक वर्ष से अधिक न हो, किन्तु ऐसा विस्तार पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा:

परन्तु और यह कि जहां पट्टेदार विस्तारित अवधि के पूरा होने से पहले,—

(क) उत्पादन या निपटान करने में असफल रहता है; या

(ख) उत्पादन और निपटान प्रारंभ करके उसे बंद कर देता है,

ऐसा पट्टा उसकी निष्पादन की तारीख से व्यपगत हो जाएगा या यथास्थिति, उत्पादन या निपटान बंद हो जाएगा ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जहां केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी अपतट क्षेत्र को आरक्षित करती है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाए, ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग में संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन

पट्टा सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा धारा 13 के अधीन उत्पादन पट्टा या धारा 12 के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विहित प्रक्रिया के सिवाय, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को वही लागू निबंधन और शर्तें के अधीन होंगी ।

(5) जहां सरकारी कंपनी या निगम अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त उद्यम में खोज संक्रिया या उत्पादन प्रचालन करने का इच्छुक है, वहां संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा और ऐसी सरकारी कंपनी या निगम ऐसे संयुक्त उद्यम में चुकता शेयर पूंजी का चहोत्तर प्रतिशत से अधिक धारित करेगा ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "जो किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के अंतर्गत है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अपतट खनिज के संरक्षण के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या अपतट क्षेत्रों के विनियमन के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "ऐसे आदेश की तारीख से" शब्दों के पश्चात्, "ऐसी अवधि के लिए, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से" शब्दों के स्थान पर, "उसमें विनिर्दिष्ट बंद करने की अवधि के दौरान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से" कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "आवीक्षण अनुज्ञापत्र, खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे" शब्दों के स्थान पर, "आवीक्षण अनुज्ञापत्र या खोज अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 11 का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 और धारा 13 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करना ।

"12. (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, ऐसे अपतट क्षेत्र के संबंध में, जहां खनिज संसाधनों का अस्तित्व, इस संबंध में आवेदन करने के पश्चात् धारा 6 के दूसरे परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित उत्पादन पट्टा देने के लिए पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया

है, वहां किसी व्यक्ति को संयुक्त अनुज्ञप्ति देने के लिए चुना जा सकता है, जो,—

(क) इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता की शर्तों और ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता हो ;

(ख) चयन ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्धी बोली की रीति द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जो ऐसे निबंधन और शर्तों, रीति और बोली के मानकों, जैसा विहित किया जाए, के आधार पर संचालित की जाती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित व्यक्ति को संयुक्त अनुज्ञप्ति देगी ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर यथा विनिर्दिष्ट आवेदन करने वाली नोटिस में खोज की संक्रिया को संतोषजनक ढंग से पूरा करना होगा :

परंतु प्रशासनिक प्राधिकारी, उक्त अवधि के समाप्त होने के तीन महीने पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले कारणों और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जा सकें, अनुज्ञप्तिधारी को खोज संक्रिया संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तार दे सकता है :

परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के समाप्त होने पर कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, यदि पहले परंतुक के अधीन दिया गया है ।

(4) संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन दिए गए क्षेत्र में सन्निहित मानक ब्लॉक शामिल होंगे, जो कुल मिलाकर तीस मिनट अक्षांश और तीस मिनट देशांतर के क्षेत्र से अधिक नहीं होंगे ।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति दिए जाने पर ऐसे निबंधनों, नील के पत्थर और त्याग आवश्यकताओं, जैसा विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए खोज प्रक्रिया को प्रारंभ और जारी रखेगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, जिसने धारा 6 के दूसरे परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उसके किसी भाग के अधीन धारित अपतट क्षेत्र में खनिज संसाधनों के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से स्थापित करता हो, उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, और प्रशासनिक अधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया गया है, आवेदन करने पर, एक या एक से अधिक उत्पादन पट्टे दिए जा सकते हैं :

परंतु ऐसे अनुज्ञप्तिधारी,—

(क) अपने संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है ; और

(ख) धारा 6 के अनुसार उत्पादन पट्टे के दिए जाने के लिए अर्हता को जारी रखता है ; और

(ग) अपनी खोज संक्रिया के पूरे होने के छह माह के भीतर उत्पादन पट्टा देने के लिए आवेदन कर दिया है :

परंतु यह और कि एक संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुसरण में दिए गए ऐसे उत्पादन पट्टा या उत्पादन पट्टों का कुल क्षेत्रफल पन्द्रह मिनट अक्षांश पन्द्रह मिनट देशांतर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(7) प्रशासनिक प्राधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने पर कि अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादन पट्टा देने के लिए केंद्रीय सरकार से सिफारिश करेगा ।

(8) केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकारी से उपधारा (7) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी प्रक्रिया जैसा विहित किया जाए, के अनुसार उत्पादन अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी ।

(9) संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुसरण में दिया गया प्रत्येक अनुज्ञप्ति पट्टा पचास वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

(10) किसी अपतट क्षेत्र के उन भागों में संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन धारित सभी अधिकार और हित, जिनके संबंध में कोई उत्पादन पट्टा नहीं दिया गया है, संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर अस्तित्व में नहीं रहेंगे ।

(11) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे—

(क) धारा 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ; और

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट खनिज, जहां परमाणु खनिज का ग्रेड ऐसी सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

उत्पादन पट्टा प्रदान करना ।

13. (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, ऐसे अपतट क्षेत्र के संबंध में, जहां खनिज संसाधनों का अस्तित्व, इस संबंध में आवेदन करने के पश्चात् धारा 6 के दूसरे परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित उत्पादन पट्टा देने के लिए पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है, वहां किसी व्यक्ति को संयुक्त अनुज्ञप्ति देने के लिए चुना जा सकता है, जो,--

(क) इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता की शर्तों और ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता हो ;

(ख) चयन ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्धी बोली की रीति द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जो ऐसे निबंधन और शर्तों, रीति और बोली के मानकों, जैसा विहित किया जाए, के आधार पर संचालित की जाती है ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अधिकथित के अनुसार चयनित आवेदक को उत्पादन पट्टा देगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक उत्पादन पट्टा पचास वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(4) उत्पादन पट्टा के अधीन क्षेत्र सन्निहित मानक ब्लाकों से युक्त होगा और पंद्रह मिनट अक्षांश पंद्रह मिनट देशांतर के क्षेत्र से अधिक नहीं होगा ।

(5) उत्पादन पट्टा दिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रीति और निबंधन तथा शर्तों

के अधीन, जैसा विहित किया जाए, उत्पादन संक्रिया को प्रारंभ और जारी रखेगा ।

(6) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे—

(क) धारा 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ; और

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट खनिज; जहां परमाणु खनिज का ग्रेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

नई धारा 13क, धारा 13ख और धारा 13ग का अंत:स्थापन ।

11. मूल अधिनियम में धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए प्रचालन अधिकार अनुदत्त किए जाए ।

"13क. (1) धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, कोई खनिज या सहयुक्त खनिज के समूह के संबंध में एक या अधिक खोज अनुज्ञप्ति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन अनुज्ञप्ति, सभी को एकसाथ अर्जित नहीं करेगा और पैंतालीस मिनट अक्षांश से पैंतालीस मिनट देशांतर से अधिक के कुल क्षेत्र का समावेश करेगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी खनिज या उद्योग के विकास के हित में, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके, किसी खनिज या ऐसे खनिज के जमा की कोई विनिर्दिष्ट श्रेणी या संबंधित खनिजों के ऐसे समूह के संबंध में उक्त क्षेत्र की सीमा को घटा या बढ़ा सकता है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित या उसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति अधिकार प्रचालित कर रहा है, जो स्वयं के लिए आशयित है, उसके स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधारित किए गए कुल क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए, सहकारी सोसाइटी या किसी कंपनी या सहकारिता या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य या किसी फर्म के भागीदार के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रचालित अधिकार के अधीन किसी क्षेत्र की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से कटौती की जाएगी जिससे किसी प्रचालन अधिकार, चाहे ऐसे व्यक्ति या भागीदार या व्यष्टित: उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी मामले में बढ़े कुल क्षेत्र से अधिक नहीं होगा ।

संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा का अंतरण ।

13ख. (1) धारा 8 के अधीन मंजूर की गई अथवा धारा 12 या धारा 13 के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोई संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा यथास्थिति, उस रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे अनुज्ञप्ति या पट्टा की मंजूरी के लिए किसी पात्र व्यक्ति को सुसंगत अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा अंतरित किया जा सकता है :

परंतु ऐसा कोई संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का अंतरण ऐसी शर्तों के अतिलंघन में किया जाएगा जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे को मंजूरी प्रदान की गई थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरण

में किसी संयुक्त अंतरण के लिए दी गई मंजूरी में एक या अधिक उत्पादन पट्टा सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध और संयुक्त अनुज्ञप्ति अथवा उत्पादन पट्टा की शर्तें और निबंधन उस व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगी, यथास्थिति, जिस पर ऐसा अनुज्ञप्ति अथवा पट्टा उपधारा (1) के अधीन अंतरित किया गया हो ।

कतिपय आवेदनों और खोज अनुज्ञप्ति का अपात्र होना ।

13ग. (1) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से धारा 12 और धारा 13 के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा की मंजूरी के लिए चयन की विक्रय पद्धति के लिए नीलामी,—

(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति अथवा उत्पादन पट्टा की मंजूरी के लिए प्रारंभ की उक्त तारीख से पूर्व प्राप्त सभी आवेदन अपात्र हो जाएंगे ;

(ख) प्रारंभ की उक्त तारीख से पूर्व मंजूर किया गया कोई खोज अनुज्ञप्ति ऐसे खोज अनुज्ञप्ति द्वारा अपने वाले अपतटीय क्षेत्र के ऊपर उत्पादन पट्टा के लिए अपात्र हो जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम या अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित या किसी आदेश या निदेश की प्रतिकूलता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लागू होंगे ।

धारा 14 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 में, खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"(कक) संयुक्त अनुज्ञप्ति—एक वर्ष ;"

धारा 16 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में "उत्पादन के अंतर्गत अपने वाले क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए गए" शब्दों के स्थान पर "उसके उत्पादन के अंतर्गत अपने वाले क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए गए" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 16क का का अंत:स्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अपतट क्षेत्र खनिज न्यास का स्थापन।

"16क. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपतट क्षेत्र खनिज न्यास नाम से एक अलाभ स्वायत्त निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी।

(2). अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रोद्भूत निधियों के प्रयोग के लिए होंगे अर्थात:—

(क) किसी प्रतिकूल समाघात के अपतट क्षेत्र और शमन के संबंध में अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबंधित व्यय जो अपनाए जाने वाले प्रचालन के कारण अपतट क्षेत्र में पर्यावरण के लिए कारित हो सकेगा ; या

(ख) अपतट क्षेत्र में आपदा के घटित होने पर अनुतोष का उपबंध करना;

(ग) अपतट क्षेत्र में खोज के प्रयोजन के लिए ; या

(घ) अपनाए जाने वाले प्रचालन के खोज या उत्पादन से प्रभावित व्यक्ति के हित और लाभ के लिए ; या

(ङ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं ; या

(3) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के संगठन और कृत्य वे होंगे जो विहित किया जाए ।

(4) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के लिए उपगत की गई निधियां भारत के लोक लेखा के अधीन गैर व्यपगत होंगी और उस रीति में प्रशासित होंगी जो विहित की जाएं ।

(5) पट्टाकर्ता किसी अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के लिए स्वामित्व के अतिरिक्त ऐसी रकम जो पहली अनुसूची के निबंधन के अनुसार जमा की गई स्वामित्व के ऐसे प्रतिशत के समतुल्य हैं जो ऐसे स्वामित्व के एक तिहाई से अधिक होगी उस रीति में जो विहित की जाएं ।

(6) धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट और अधिसूचित इकाइयां ऐसी शर्तों के अध्यधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के अधीन निधियों के लिए पात्र होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

धारा 17 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 17 में, "क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए गए" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्र से हटाए गए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 18 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रति अंशदाय।

"18. प्रत्येक ऐसा पट्टेदार, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अन्य संदायों के अतिरिक्त, जिसकी उत्पादन संक्रिया का विस्तार उस आधार रेखा से जिससे राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है, दो सौ समुद्री मील से परे होता है केन्द्रीय सरकार को संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय, 1982 के अनुच्छेद 82 के अधीन केन्द्रीय सरकार की बाध्यता को पूर्ण करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को संदत्त की जाने वाली रकम का, अग्रिम संदाय करेगा ।"

नई धारा 19 क का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात:—

खनिज संरक्षण और विकास पर केंद्रीय सरकार का शुल्क।

"19क. केंद्रीय सरकार अपतट क्षेत्र में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए जो विहित किए जाएं और किसी जनसंख्या के निवारण या नियंत्रण करने के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो खोज या उत्पादन प्रचालन द्वारा कार्य की जा सकती हो, आवश्यक उपाय करेगी ।

धारा 23 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उप धारा (1) में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:—

"(क) जो कोई इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त, यथास्थिति, किसी अनुज्ञापत्र, संयुक्त अनुज्ञप्ति या खोज अनुज्ञप्ति ; या उत्पादन पट्टे के बिना अपतट क्षेत्र में कोई आवीक्षण संक्रिया, खोज संक्रिया या उत्पादन संक्रिया, करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या

जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(ख) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार जो धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपेक्षित आंकड़े, सूचना या दस्तावेज उसमें उपबंधित रीति में देने में विफल होता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपतट क्षेत्र जहां ऐसी मान्यता संक्रिया या खोज संक्रिया या उत्पादन संक्रिया अपनाई जाती है के संबंध में जुर्माने की रकम उपबंध की जाएगी।";

(ii) खंड (घ) में,—

(अ) " दंडित" शब्द के स्थान पर "दंडनीय" शब्द रखा जाएगा;

(आ) "पांच लाख रुपये से अधिक जुर्माने के साथ" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपये जुर्माने के साथ जो पचास लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप धारा (2) में दीर्घ पंक्ति में "वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उप धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(2अ) जो कोई उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्ध होते हुए, पुन: उस उपधारा के अधीन किसी अपराध में पुन: दोषसिद्ध होता है, उसके लिए कारावास के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उस अपराध को लगातार कारित किया हो, प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए होगा ।";

(घ) उपधारा (3) में,—

(i) "अथवा इसके अधीन बनाए गए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "दंडित" शब्द के स्थान पर "दंडनीय" शब्द रखा जाएगा;

(iii) "ऐसे जुर्माने के साथ जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता है" शब्दों के स्थान पर "ऐसे जुर्माने से, जो पचास लाख रुपये तक है, जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता है" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ङ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या पचास लाख रुपए के जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक

हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है पांच लाख रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी", शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी और जो पचास लाख रुपए तक की हो सकेगी", शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 34क, धारा 34ख और धारा 34ग का अंतःस्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति ।

"34क. केंद्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से तथा लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसे निबंधनों के अनुसार जो विहित किए जाएं, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगी ।

निदेश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

34ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार प्रशासनिक प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह लोकहित, देश के रणनीतिक हित, खनिज के संरक्षण और विकास में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

केंद्रीय सरकार की सूचना मांगने की शक्ति ।

34ग. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रशासनिक प्राधिकारी, या

(ख) अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी, या

(ग) किसी व्यक्ति जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि वह अपतट क्षेत्र में खनिजों के संबंध में किसी क्रियाकलाप से सहबद्ध है,

से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन किसी पूछ-ताछ या कार्यवाही के लिए आवश्यक या सुसंगत समझे ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(कक) ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे पट्टाधारी, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा सभी खोज और प्रचालन संबंधी डाटा, रिपोर्टें, नमूने और प्रचालन के अनुसरण में उसके संबंध में या संग्रहित कोई अन्य सूचना प्रस्तुत की जानी है और वह अवधि जिसके भीतर धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन उन्हें प्रस्तुत की जानी है,

(कख) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन किसी विक्रय या अन्यथा के अनुसरण में डाटा, रिपोर्टें, नमूने या सूचना प्रसारित किया जाना है ;";

(ii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग) धारा 6 के पहले परंतुक के अधीन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खनिज रियायत अनुदत्त करने के विनियमन हेतु शर्तें और रीति, 1957 का 67

(गक) धारा 6 के दूसरे परंतुक के अधीन खनिज संसाधनों का अस्तित्व पर्याप्त रूप से स्थापित करने के लिए प्राचल;";

(iii) खंड (घ) और खंड (ञ) का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ञक) धारा 8 के अधीन किसी सरकारी कंपनी या निगम को समेकित अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें;

(ञख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें, प्रतिस्पर्धा बोली करने के लिए निबंधन और शर्तें तथा रीति और बोली प्राचल;

(ञग) धारा 12 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन वे शर्तें जिनके अधीन खोज प्रचालनों को पूर्ण करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को विस्तार अनुदत्त किया जाना है;

(ञघ) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन खोज प्रचालन आरंभ करने तथा कार्यान्वित के लिए निबंधन, मील पत्थर और अभित्यजन अपेक्षाएं;

(ञङ) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप तथा उपधारा (8) के अधीन उसकी प्रक्रिया;

(ञच) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें, प्रतिस्पर्धा बोली करने के लिए निबंधन और शर्तें तथा रीति और बोली प्राचल;

(ञछ) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन उत्पादन प्रचालन आरंभ और कार्यान्वित किए जाएंगे;

(ञज) धारा 13क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सहबद्ध खनिजों का समूह;

(ञझ) धारा 13ख के अधीन समेकित अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा के अंतरण के लिए रीति और शर्तें;

(ञञ) धारा 16क की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अन्य प्रयोजन जिनके लिए अपतट क्षेत्र खनिज न्यास से उद्भूत निधियां उपयोग की जाएंगी;

(ञट) धारा 16क की उपधारा (3) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास की संरचना और कृत्य;

(ञठ) धारा 16क की उपधारा (4) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास से उद्भूत निधियों के प्रशासन की रीति;

(ञड) धारा 16क की उपधारा (5) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को रकमों के संदाय की रीति;" ;

(v) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(टक) अपतट क्षेत्रों में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास तथा धारा 19क के अधीन खोज या उत्पादन प्रचालनों से होने वाले किसी प्रदूषण को रोक कर या नियंत्रित करके पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम ;" ;

(iv) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(तक) अवैध खनन को रोकने, उसके परिवहन तथा खनिजों के भंडारण के लिए और उससे सहबद्ध प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले उपाय;" ।

धारा 36 का लोप ।

22. मूल अधिनियम की धारा 36 का लोप किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची की सारणी में, आकार से संबंधित स्तंभ (1) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

आकार
"मिन्ट देशांतर से 1 मिनट अक्षांतर का मानक ब्लाक." ।

कठिनाइयों को दूर करना ।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो मूल अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम) भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन का उपबंध करने और उससे संबंधित या अनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम के उपबंध 15 जनवरी, 2010 से प्रभावी होंगे ।

2. भारत, नौ तटीय राज्यों और चार संघ राज्यक्षेत्रों की लंबी तटरेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के साथ एक अनन्य समुद्री स्थिति होने के बावजूद, अपनी विकास संबधी जरूरतों के लिए अपने विशाल अपतटीय खनिज संसाधनों का दोहन करने में सक्षम नहीं है । अधिनियम में परिचालन अधिकारों को आवंटित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र के लिए विधि ढांचे की कमी और ब्लॉकों के आवंटन पर लंबित मुकदमों के गतिरोध के कारण अपतटीय ब्लॉकों के आवंटन के पिछले प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं मिले ।

3. तटवर्ती खनिज संसाधनों के मामले में 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन द्वारा खनिज रियायत के आवंटन की रीति के रूप मे नीलामी आरंभ की गई थी । उसी के अनुसरण में, 2015 से सैकड़ो खनिज ब्लॉकों की नीलामी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन खान पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए की गई है । नीलामी प्रक्रिया ने अधिमूल्य नीलामी के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व के अतिरिक्त स्रोत भी उत्पन्न किए हैं ।

4. इसी प्रकार, पारदर्शी और गैर-वैवेकिक प्रक्रिया के माध्यम से संक्रिया अधिकारों के शीघ्र आवंटन को सक्षम करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों में संक्रिया अधिकारों के आवंटन की विधि के रूप में नीलामी शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है । इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की अन्य विशेषताओं को अपनाने की भी आवश्यकता है, जैसे खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए न्यास की स्थापना और खोज को प्रोत्साहित करना, वैवेकिक नवीकरण की प्रक्रिया को हटाना और पचास वर्ष की एक समान पट्टा अवधि प्रदान करना । संयुक्त अनुज्ञप्ति की शुरूआत, क्षेत्र सीमा के लिए उपबंध, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का आसान अंतरण करना, आदि ।

5. तद्नुसार, संसद में अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पुःस्थापित करना प्रस्तावित है । उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ इसप्रकार है—

(i) प्रतियोगी बोली द्वारा केवल नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए उत्पादन पट्टे को प्रदान करने का उपबंध करना ;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षित किए गए खनिज संबंधी क्षेत्रों में सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रतियोगी बोली के बिना संक्रिया

अधिकार प्रदान करने का उपबंध करना ;

(iii) ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति जो उत्पादन संक्रियाओं द्वारा अनुपालन की गई खोज के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए द्वि प्रक्रम संक्रिया अधिकार आरंभ करने के लिए हैं । संयुक्त अनुज्ञप्ति प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रतियोगी बोली द्वारा केवल नीलामी के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी ;

(iv) परमाणु खनिजों के मामले में खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा केवल सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान करने का उपबंध करना ;

(v) उत्पादन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उपबंध को हटाना और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के समरूप उत्पादन पट्टे के लिए पचास वर्ष की अवधि नियत करने का उपबंध करना ;

(vi) उस क्षेत्र को सीमित करना जिसे कोई व्यक्ति किसी खनिज या सहयुक्त खनिजों के समूह के संबंध में अर्जित कर सकता है जो एक या एक से अधिक सभी संक्रिया अधिकारों के अधीन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(vii) खोज या उत्पादन संक्रियाओं आदि द्वारा प्रभावित व्यक्तिओं के हित या लाभ के लिए खोज, अपतट खान के प्रतिकूल सभाघात को कम करने, आपदा राहत, अनुसंधान कार्य के लिए निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के लोक लेखा के अधीन गैर-व्यपगत निधि को बनाए रखने के लिए अपतट क्षेत्र खनिज न्यास स्थापित करना ;

(viii) क्षेत्रों में गतिरोध को दूर करने के लिए नीलामी अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे को प्रदान करने के लिए केवल चयन की रीति के रूप में आरंभ की गई और प्रस्तावित विधायनों के आरंभ की तारीख से पूर्व ग्रहण किए गए सभी आवेदन अपात्र हो जाएंगे । इसी प्रकार प्रस्तावित विधायनों के प्रवृत्त होने से पूर्व ग्रहण किए गए आवेदनों के संबंध में प्रदान की गई खोज अनुज्ञप्ति का धारक भी उत्पादन पट्टे को प्रदान करने के लिए अपात्र हो जाएगा ;

(ix) उत्पादन पट्टे के निष्पादन के पश्चात् उत्पादन और निपटान के प्रारंभ के लिए चार वर्ष (एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य) की समय-सीमा और समाप्ति के पश्चात् उत्पादन और निपटान को पुनःप्रारंभ करने के लिए दो वर्ष (एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य) समय-सीमा आरंभ करना ;

(x) अपतट क्षेत्रों में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए और कोई प्रदूषण जो खोज या उत्पादन संक्रियाओं के द्वारा हो, को प्रतिषिद्ध या नियंत्रण करके पर्यावरण के संरक्षण के लिए नियम विरचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाना ;

(xi) कारबार सुगमता को प्रोन्नत करने के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतरण के लिए उपबंध करना ; और

(xii) अवैध खनन और अन्य अपराधों के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ाना ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 जुलाई, 2023

प्रह्लाद जोशी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक देश की प्रगति और विकास के लिए अपतट क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की खोज और खनन को सक्षम बनाने के लिए अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने का उपबंध करता है । विधेयक, यदि अधिनियमित हो जाता है, से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है । दूसरी ओर, अपतटीय क्षेत्रों में आवंटित ब्लॉकों से खनिज के उत्पादन से केन्द्रीय सरकार को रायल्टी, निश्चित भाटक और नीलामी प्रीमियम के रूप में राजस्व प्राप्त होगा । खोज, अनुसंधान और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने जैसे प्रयोजनों के लिए उत्पादन पट्टाधारकों द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को संदाय से भी धन उत्पन्न किया जाएगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 14, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपतट क्षेत्र खनिज न्यास नाम से स्वायत्त निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 21, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए नियम बनाए जा सके,--

(i) ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे पट्टाधारी, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा सभी खोज और प्रचालन संबंधी डाटा, रिपोर्टें, नमूने और प्रचालन के अनुसरण में उसके संबंध में या संगृहित कोई अन्य सूचना प्रस्तुत की जानी है और वह अवधि, जिसके भीतर धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रस्तुत की जानी है ; (ii) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन किसी विक्रय या अन्यथा के अनुसरण में डाटा, रिपोर्टें, नमूने या सूचना प्रसारित की जानी हैं ; (iii) धारा 6 के पहले परंतुक के अधीन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खनिज रियायत अनुदत्त करने के विनियमन हेतु शर्तें और रीति ; (iv) धारा 6 के दूसरे परंतुक के अधीन खनिज संसाधनों का अस्तित्व पर्याप्त रूप से स्थापित करने के लिए प्राचल ; (v) धारा 8 के अधीन किसी सरकारी कंपनी या निगम को समेकित अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें ; (vi) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें, प्रतिस्पर्धा बोली करने के लिए निबंधन और शर्तें तथा रीति और बोली प्राचल ; (vii) धारा 12 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन वे शर्तें, जिनके अधीन खोज प्रचालनों को पूर्ण करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को विस्तार अनुदत्त किया जाना है ; (viii) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन खोज प्रचालन आरंभ करने तथा कार्यान्वित के लिए निबंधन, मील पत्थर और अभित्यजन अपेक्षाएं ; (ix) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप तथा उपधारा (8) के अधीन उसकी प्रक्रिया ; (x) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के लिए पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें, प्रतिस्पर्धा बोली करने के लिए निबंधन और शर्तें तथा रीति और बोली प्राचल ; (xi) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन उत्पादन प्रचालन आरंभ और कार्यान्वित किए जाएंगे ; (xii) धारा 13क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सहबद्ध खनिजों का समूह ; (xiii) धारा 13ख के अधीन समेकित अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा के अंतरण के लिए रीति और शर्तें ; (xiv) धारा 16क की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अन्य प्रयोजन, जिनके लिए अपतट क्षेत्र खनिज न्यास से उद्भूत निधियां उपयोग की जाएंगी ; (xv) धारा 16क की उपधारा (3) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास की संरचना और कृत्य ;

(xvi) धारा 16क की उपधारा (4) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास से उद्भूत निधियों के प्रशासन की रीति ; (xvii) धारा 16क की उपधारा (5) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को रकमों के संदाय की रीति ; (xviii) अपतट क्षेत्रों में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास तथा धारा 19क के अधीन खोज या उत्पादन प्रचालनों से होने वाले किसी प्रदूषण को रोक कर या नियंत्रित करके पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम ; (xix) अवैध खनन को रोकने, उसके परिवहन तथा खनिजों के भंडारण के लिए और उससे सहबद्ध प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले उपाय ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं, और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सख्यांक 17) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

4. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * * *

(ख) "परमाणु खनिज" से ऐसे खनिज अभिप्रेत हैं, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिजों में सम्मिलित किए गए हैं;

* * * * * * *

(घ "तटरक्षक" से तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) के अधीन गठित तटरक्षक अभिप्रेत है;

* * * * * * *

(झ) "पट्टेदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया जाता है;

(ञ) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है;

(ट) "खान" से अपतट क्षेत्र में ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें कोई खोज या उत्पादन संक्रियाएं किसी ढंग या पद्धति द्वारा खनिज या धातु की खोज करने, उसे प्राप्त करने, ससाधित या तैयार करने के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अपतट क्षेत्र में किसी जलयान, परिनिर्माण, साधित्र, कृत्रिम द्वीप या प्लेटफार्म और परिसरों के साथ की जाती है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा क्षेत्र भी आता है जो किसी खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतर्गत है, जहां खोज या उत्पादन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया है या किया जा रहा है या किया जा सकेगा;

* * * * * * *

(ण) "संक्रिया संबंधी अधिकार" से आवीक्षण अनुज्ञापत्र या खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा के धारक अधिकार अभिप्रेत हैं;

* * * * * * *

(त) "उत्पादन पट्टा" से धारा 13 के अधीन अनुदत्त कोई पट्टा अभिप्रेत है जो उत्पादन संक्रिया करने के प्रयोजन के लिए अनन्य अधिकार प्रदान करता है;

* * * * * * *

(क) "आवीक्षण अनुज्ञापत्र" से आवीक्षण संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए धारा 11 के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है;

(ब) "जलयान" के अंतर्गत कोई पोत, नौका, चलत जलयान या किसी अन्य वर्णन का कोई जलयान भी है ।

* * * * * * *

अध्याय 2

अपतट क्षेत्रों में संक्रिया संबंधी अधिकारों के अर्जन के लिए साधारण उपबंध

आवीक्षण खोज या उत्पादन का अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन होना ।

5. (1) कोई व्यक्ति अपतट क्षेत्रों में इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त आवीक्षण अनुज्ञापत्र, खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार के सिवाय कोई आवीक्षण संक्रिया, खोज संक्रिया या उत्पादन संक्रिया नहीं करेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, भारतीय नौसेना के नौसैनिक जल सर्वेक्षण कार्यालय के भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, भारत के समुद्र विकास विभाग के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा की गई किसी आवीक्षण संक्रिया या खोज संक्रिया को लागू नहीं होगी ।

(2) अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार,—

(क) यथास्थिति, आवीक्षण संक्रिया या खनिज खोज या खनन जैसे गहराई मापन, भू-पटल रचना, खनिज वितरण, असगति मानचित्रों, खंडों, सलैखों कोड, अवस्थिति मानचित्रों, रेखांकों, संरचनाओं, समोच्च मानचित्रों, रासायनिक विश्लेषण से संबंधित सभी आंकड़े, चालू ज्वारभाटाओं, लहरों, हवा से संबंधित आंकड़े, अन्य भू-भौतिकीय और भू-तकनीकी आंकड़े और खोज संक्रियाओं या खनन संक्रियाओं के दौरान संगृहीत कोई अन्य आंकड़े महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता और महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत करना;

(ख) यथास्थिति, आवीक्षण संक्रिया या खोज संक्रिया या खनन संक्रिया के दौरान संगृहीत परमाणु खनिजों से संबंधित सभी सूचना, परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार के सचिव, महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता और महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत करेगा;

* * * * * * *

(4) कोई भी संक्रिया संबंधी अधिकार, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार से अन्यथा अनुदत्त या नवीकृत नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपाबंधों के उल्लंघन में अनुदत्त, नवीकृत या अर्जित कोई अवीक्षण अनुज्ञापत्र, खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा, शून्य होगा ।

संक्रिया संबंधी

6. केंद्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को कोई संक्रिया संबंधी अधिकार तब तक

अधिकार का प्रदान करना ।

प्रदान नहीं करेगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति,—

(क) भारत का राष्ट्रिक या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी नहीं है; और

1956 का 1

(ख) ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता है जो विहित की जाएं :

परंतु परमाणु खनिजों या विहित पदार्थों के लिए उत्पादन पट्टा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा से सबद्ध विभाग के परामर्श के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा ।

संक्रिया संबंधी अधिकार का पर्यवसान ।

7. (1) जहां केंद्रीय सरकार की, प्रशासनिक प्राधिकारी से परामर्श के पश्चात्, यह राय है कि अपतट खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन के हित में, नैसर्गिक पर्यावरण के परिरक्षण और प्रदूषण के निवारण, लोक स्वास्थ्य या संसूचना के खतरे से बचने के लिए किसी अपतट संरचना की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए यह समीचीन है, वहां केंद्रीय सरकार, किसी अपतट क्षेत्र या उसके भाग में किसी खनिज के संबंध में किसी संक्रिया संबंधी अधिकार का समयपूर्व पर्यवसान कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संक्रिया संबंधी अधिकार का समयपूर्व पर्यवसान करने के लिए कोई आदेश, संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां किसी संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक धारा 14 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संक्रिया प्रारंभ करने में असफल रहता है या दो वर्ष की अवधि के लिए संक्रिया बंद कर देता है वहां, संक्रिया संबंधी अधिकार, यथास्थिति, पट्टे के निष्पादन की तारीख से या संक्रिया बंद करने की तारीख से व्यपगत हो जाएगा :

परंतु प्रशासनिक प्राधिकारी, संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक द्वारा किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि संक्रिया का ऐसे प्रारंभ न किया जाना या उसका बंद करना ऐसे कारणों से है जो संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक के नियंत्रण से परे है, ऐसे प्रारंभ न किए जाने या बंद किए जाने को माफ कर सकेगा ।

क्षेत्रों का आरक्षण ।

8. (1) * * * * * *

(2) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के अधीन आरक्षित किसी क्षेत्र को, अपतट खनिज के विकास और विनियमन के हित में, अनारक्षित कर सकेगी ।

क्षेत्रों को बंद करने की शक्ति ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा और, यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी को संसूचना देकर किसी ऐसे क्षेत्र को भागतः या संपूर्ण रूप में, जो किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के अंतर्गत है नैसर्गिक पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण के निवारण के लिए या लोक स्वास्थ्य या संसूचना को खतरे से बचाने के लिए या किसी अपतट संरचना या प्लेटफार्म की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या अपतट खनिज के संरक्षण के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या किसी अन्य सामरिक महत्व की बात के विचारण के लिए, बंद कर सकेगी ।

(2) कोई क्षेत्र जो उपधारा (1) के अधीन भागतः या संपूर्ण रूप से बंद कर दिया

गया है और जो किसी संक्रिया संबंधी अधिकार में सम्मिलित है, ऐसे आदेश की तारीख से, संक्रिया संबंधी अधिकार के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित किया गया समझा जाएगा और संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे आदेश के अधीन आने वाले क्षेत्र में कोई संक्रिया नहीं करेगा ।

अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे के अनुदान के लिए क्षेत्रों की उपलब्धता ।

10. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर और उसके पश्चात् ऐसे समय पर जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त आवश्यक समझा जाए, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपतट क्षेत्रों के उन भागों को, जो आवीक्षण अनुज्ञापत्र, खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए उपलब्ध होंगे, घोषित करेगा ।

(2) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आता है, आवीक्षण अनुज्ञापत्र, खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए कोई आवेदन समय पूर्व किया गया समझा जाएगा और उसके लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(3) संक्रियात्मक अधिकार पांच मिनट देशान्तर रेखाश से पांच मिनट अक्षांश तक के मानक ब्लाकों में अनुदत्त किए जाएंगे और ऐसे अनुदान में एक से अधिक ऐसे मानक ब्लाक सम्मलित हो सकेंगे, जो संलग्न होंगे ।

आवीक्षण अनुज्ञापत्र का अनुदान ।

11. (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, संक्रियात्मक अधिकार के अनुदान के लिए धारा 6 के अधीन पात्र किसी व्यक्ति को ऐसा आवीक्षण अनुज्ञापत्र, जो अनन्य नहीं होगा, अनुदत्त कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त आवीक्षण अनुज्ञापत्र की अवधि वह होगी जो ऐसे अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट की जाए और वह दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त आवीक्षण अनुज्ञापत्र दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा यदि ऐसे अनुदान की अवधि के दौरान की गई प्रगति के पुनर्विलोकन के पश्चात्, प्रशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवीक्षण संक्रियाओं को पूरा करने के लिए और अवधि आवश्यक है ।

(4) एक आवीक्षण अनुज्ञापत्र के अधीन अनुदत्त किया जाने वाला क्षेत्र दो डिग्री अक्षांश से दो डिग्री देशांतर रेखांश के एक ब्लाक से अधिक नहीं होगा ।

(5) प्रशासनिक प्राधिकारी, अपतट खनिज विकास के हित में उन्हीं खनिज भंडारों के लिए उसी क्षेत्र के संबंध में एक या अधिक व्यक्तियों को आवीक्षण अनुज्ञापत्र अनुदत्त कर सकेगा ।

खोज अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना ।

12. (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा जो,—

(क) धारा 6 के अधीन संक्रियात्मक अधिकार के अनुदत्त किए जाने के लिए पात्र है;

(ख) प्रशासनिक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे वैज्ञानिक प्राचलों पर आधारित, जो विहित किए

जाएं, खोज सक्रियाओं को करने के लिए अपेक्षित तकनीकी योग्यता और वित्तीय संसाधन रखता है;

(ग) आवेदित क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में तैयार किया गया और ऐसे आंकड़ों से समर्थित जो विहित किए जाएं, संकर्म कार्यक्रम, खोज अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित कियाकलाप को उपवर्णित करते हुए, जिसके अंतर्गत आशयित खोज अनुसूची और उपयोग की जाने वाली पद्धतियां व्यर्थ की प्राक्कलित अनुसूची, प्रदूषण का निवारण और पर्यावरण संरक्षण करने के उपाय और ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए पर्यावरणीय रक्षोपायों की प्रभाविकता को मानीटर करना, जो प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे संकर्म कार्यक्रम में बताए, प्रस्तुत करता है;

(घ) प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खोज अनुज्ञप्ति के लिए संकर्म कार्यक्रम से विचलन नहीं करने का वचन देता है; और

(ङ) प्रशासनिक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में अपनी ऐसी सभी कानूनी बाध्यताओं को पूरा कर देता है जो किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के अधीन उसे पहले,—

(i) अनुदत्त; या

(ii) विहित रीति में अंतरित, हैं ।

(2) यदि विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दिए गए किसी वचनबंध का अतिक्रमण किया है तो प्रशासनिक प्राधिकारी खोज अनुज्ञप्ति को पर्यवसित कर सकेगा ।

(3) खोज अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए विहित समय के भीतर प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों पर जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, एक साथ विचार किया जाएगा और खोज अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए चयन करने में प्रशासनिक प्राधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात् :—

(क) जहां किसी एक क्षेत्र के संबंध में केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी आवेदक को खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा;

(ख) जहां किसी एक ही क्षेत्र या सारभूत रूप से उसी क्षेत्र के संबंध में दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहां अधिमान का क्रम निम्न प्रकार होगा, अर्थात् :—

(I) ऐसे आवेदक को अधिमान दिया जाएगा जो ऐसे उद्योग में उपयोग के लिए खनिज की अपेक्षा करता है जिसका आवेदक पहले से ही स्वामी है या जिसने ऐसे उद्योग को स्थापित करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की है :

परंतु जहां ऐसे प्रवर्ग के एक से अधिक आवेदन हैं वहां प्रशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर अनुज्ञप्ति

अनुदत्त कर सकेगा—

(i) आवेदक द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की प्रकृति, क्वालिटी और अनुभव;

(ii) आवेदक के वित्तीय संसाधन;

(iii) आवेदक द्वारा प्रस्तावित खोज संकर्म की प्रकृति और मात्रा;

(iv) खोज कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत आंकड़ों की प्रकृति, क्वालिटी और मात्रा;

(II) ऐसे अन्य आवेदकों के मामले में, जो उपखंड (I) के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रशासनिक प्राधिकारी उपखंड (I) के परन्तुक के मद (i) से मद (iv) तक में उल्लिखित विषयों के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा ।

(4) वह अवधि जिसके लिए खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकेगी, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त खोज अनुज्ञप्ति दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी यदि पुनर्विलोकन के पश्चात्, प्रशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुमोदित संकर्म कार्यक्रम के अनुसार खोज संक्रिया कर रहा है और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए और लंबी अवधि अनुज्ञप्तिधारी को खोज को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझी जाती है ।

(6) खोज अनुज्ञप्ति के अधीन अनुदत्त किया जाने वाला क्षेत्र तीस मिनट अक्षान्तर से तीस मिनट देशान्तर रेखांश के एक ब्लाक से अधिक नहीं होगा ।

परंतु यदि प्रशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लेखबद्ध किए गए कारणों से, किसी व्यक्ति को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

उत्पादन पट्टे का अनुदान ।

13. (1) प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पादन पट्टा अनुदत्त करेगा जो,—

(क) धारा 6 के अधीन संक्रियात्मक अधिकार के अनुदान के लिए पात्र है;

(ख) प्रशासनिक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे वैज्ञानिक प्राचलों पर आधारित, जो विहित किए जाएं, उत्पादन संक्रियाओं को करने के लिए अपेक्षित तकनीकी योग्यता और वित्तीय संसाधन रखता है;

(ग) आवेदित क्षेत्र में खनिज भंडार के व्यवस्थित विकास के लिए एक ऐसा संकर्म कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जो ऐसी रीति में तैयार और ऐसे आंकड़ों से समर्थित हो जो विहित किए जाएं और खोज संक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाएं, जिसमें पट्टे की अवधि के दौरान चलाए जाने वाले प्रस्तावित

क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत क्षेत्र के संसाधन निर्धारण, वाणिज्यिक उत्पादन की आशयित समस सूची, वाणिज्यिक उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां और प्रौद्योगिकियां पर्यावरण की संरक्षा तथा पर्यावरणीय रक्षोपायों की प्रभाविकता को मानीटर करने के लिए जाने वाले उपाय भी हैं, उपवर्णित हों;

(घ) प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित उत्पादन पट्टे के लिए संकर्म कार्यक्रम से विचलन न करने का वचन देता है;

(ङ) प्रशासनिक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में अपनी ऐसी सभी कानूनी बाध्यताओं को पूरा कर देता है जो किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के अधीन उसे पहले—

(i) अनुदत्त; या

(ii) विहित रीति में अंतरित हैं;

परंतु अनुज्ञप्तिधारी का उसकी खोज अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले अपतट क्षेत्र के किसी भाग पर उत्पादन पट्टे का अनन्य अधिकार, जिसकी वह वांछा करे इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि प्रशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसे अपतट क्षेत्र में खनिज साधनों को प्रमाणित करने के लिए खोज संक्रियाएं की हैं;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी ने खोज अनुज्ञप्ति के किसी निबंधन और शर्त का भग नहीं किया है; और

(iii) अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र नहीं हो गया है ।

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दिए गए किसी वचनबंध का अतिक्रमण किया है, उत्पादन पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा ।

(3) वह अवधि जिसके लिए उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा, तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त उत्पादन पट्टा बीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा, यदि पुनर्विलोकन के पश्चात्, प्रशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पट्टाधारी ऐसे पट्टे के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संकर्म कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन संक्रियाएं करता रहा है ।

(5) उत्पादन पट्टे के अधीन क्षेत्र पन्द्रह मिनट अक्षान्तर से पन्द्रह मिनट देशान्तर रेखांश के एक ब्लाक से अधिक नहीं होगा

परंतु यदि प्रशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के

हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

* * * * * * *

संक्रिया संबंधी अधिकारों के प्रारंभ की अवधि ।

14. संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक, संक्रिया संबंधी अधिकार के अनुदान के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संक्रिया प्रारंभ करेगा और तत्पश्चात् ऐसी संक्रिया को उचित, कौशलपूर्ण रीति मे और कुशलता से निम्न रूप में करेगा, अर्थात् :—

(क) आवीक्षण अनुज्ञापत्र—छह मास;

* * * * * * *

स्वामित्व ।

16. (1) पट्टेदार, उत्पादन पट्टे के अंतर्गत अपने वाले क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए गए या उपभोग किए गए किसी खनिज की बाबत केन्द्रीय सरकार को, उस खनिज के संबंध में पहली अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का संदाय करेगा

* * * * * * *

नियत किराया ।

17. (1) पट्टेदार, उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की बाबत प्रतिवर्ष दूसरी अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर नियत किराए का केन्द्रीय सरकार को संदाय करेगा :

परन्तु जहां पट्टेदार, धारा 16 के अधीन ऐसे पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए गए या उपभोग किए गए किसी खनिज के लिए स्वामित्व के संदाय के लिए दायी हो जाता है वहां वह उस क्षेत्र की बाबत स्वामित्व या नियत किराए का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करने का दायी होगा ।

* * * * * * *

अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रति अभिदाय ।

18. प्रत्येक ऐसा पट्टेदार, जिसकी उत्पादन संक्रिया का विस्तार उस आधार रेखा से जिससे राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है, दो सौ समुद्री मील से परे होता है केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अन्य संदायों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय, 1982 के अनुच्छेद 82 के अधीन केन्द्रीय सरकार की बाध्यता को पूर्ण करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को संदत्त की जाने वाली रकम का, अग्रिम संदाय करेगा ।

* * * * * * *

अध्याय 4

अपराध

अपराध ।

23. (1) (क) जो कोई इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त, यथास्थिति, किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे के बिना अपतट क्षेत्र में कोई आवीक्षण संक्रिया, खोज संक्रिया या उत्पादन संक्रिया, करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक

हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(ख) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार जो धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन कोई आंकड़े, सूचना या दस्तावेज उसमें उपबंधित रीति से नहीं देगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

* * * * * * *

(घ) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अतिक्रमण में प्राप्त किए गए, संसाधित या प्रतिधारित किन्हीं खनिजों का लदान, परिवहन उनके विक्रय की प्रस्थापना, उनका विक्रय, क्रय, आयात, निर्यात करेगा या उन्हें अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे मे रखेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

* * * * * * *

(2) जो कोई—

(क) धारा 22 में निर्दिष्ट किसी प्राधिकृत अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में साशय बाधा पहुंचाएगा; या

(ख) धारा 22 में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी या उसके सहायकों को जलयान पर चढ़ने या खान में प्रवेश करने के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करने में या ऐसे अधिकारी या सहायकों को जलयान या खान में प्रवेश करते समय या जब वे ऐसे जलयान या खान में उपस्थित हों, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहेगा; या

(ग) जलयान या खान को रोकने में या, यथास्थिति, ऐसे जलयान के फलक पर अथवा खान में, जब धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे करने की अपेक्षा की जाए तो, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र, लागबुक या अन्य दस्तावेज करने में असफल रहेगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी में किसी प्रकार से हस्तक्षेप, विलंब करेगा या उसे निवारित करेगा,

वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकता है या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

* * * * * * *

सिविल दायित्व और न्यायनिर्णयन

सिविल दायित्व और न्यायनिर्णयन—

28 (1) कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त किया जाता है—

* * * * * * *

(ख) ऐसे विशिष्ट निबंधनों और शर्तों का जो, यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को ही लागू होती हैं, उल्लंघन करेगा तो वह खंड (क) के अधीन दायित्व के अलावा, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अतिरिक्त रकम का भी संदाय करने का दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी।

* * * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

35. (1) * * * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवीक्षण अनुज्ञापत्र, खोज अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के निबंधन और शर्तें;

* * * * * * *

(ग) धारा 6 के परन्तुक के अधीन विहित किए जाने वाले पदार्थ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वैज्ञानिक प्राचलों के आधार पर खोज संक्रियाएं आरंभ करने के लिए अपेक्षित तकनीकी योग्यता और वित्तीय संसाधन;

(ङ) वह रीति, जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई संकर्म कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और वे आंकड़े, जिनके द्वारा संकर्म के कार्यक्रम को समर्थन दिया जाएगा;

(च) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट, अंतरण की रीति;

(छ) वह समय जिसके भीतर धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने हैं;

(ज) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वैज्ञानिक प्राचलों के आधार पर उत्पादन कार्य आरंभ करने के लिए अपेक्षित तकनीकी योग्यता और वित्तीय साधन;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई सकर्म कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और वे आंकड़े जिनसे संकर्म कार्यक्रम को समर्थन दिया जाएगा;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अंतरण की रीति;

(ट) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत

संक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा, विनियमित करने के लिए सन्नियम, उनका क्रियान्वयन और उससे संसक्त विषय;

* * * * * * *

(त) वह अवधि जिसके भीतर धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल की जाएगी और वह अतिरिक्त अवधि जो उक्त धारा की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अनुज्ञात की सकेगी,

* * * * * * *

विनिर्दिष्ट मामलों में शिथिलीकरण ।

36.–इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय है कि अपतट खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी विनिर्दिष्ट मामले में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ऐसे आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी व्यक्ति को किसी संक्रियात्मक अधिकार की मंजूरी, नवीकरण या अंतरण को प्राधिकृत कर सकेगी ।

* * * * * * *

दूसरी अनुसूची

[नियम 17(1) देखिए]

नियत किराए की दरें

प्रति मानक ब्लाक प्रतिवर्ष नियत किराए की दरें, रुपयों में

आकार	पट्टे का पहला वर्ष	पट्टे के दूसरे वर्ष से पांचवें वर्ष तक	पट्टे के छठवें वर्ष से दसवें वर्ष तक	पट्टे के ग्यारहवें वर्ष से आगे तक
5 मिनट देशांतर से 5 मिनट अक्षांतर का मानक ब्लाक	कुछ नहीं	50,000 रु०	1,00,000 रु०	2,00,000 रु०

* * * * * * *